न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दूदू

बइजलास :– हनुमान मल ढाका (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 79/2021 पुनः दर्ज नम्बर 36/2023 (अपील)

श्योकरण पुत्र रोडूराम जाति जाट निवासी हरसौली तहसील दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू

(अपीलार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज0।

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 13.7.2021 न्यायालय तहसीलदार दूदू मु0न0 13/2021 बउनवानी सरकार बनाम श्योकरण अन्तर्गत धारा 91 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश चौधरी विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की और से।
2. पैरोकार सरकार (तहसीलदार दूदू) रेस्पोडेन्ट की और से ।

निर्णय दिनांक :– 02.4.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्योकरण पुत्र रोडूराम जाट निवासी हरसौली तहसील दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज0 ने धारा 75 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपील इस आशय की पेश की है कि अपीलार्थी के विरूद्व पटवारी

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

हल्का हरसौली की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार दूदू ने कृषि भूमि वर्ष 2077 के दौरान ग्राम हरसोली के ख0न0 2087 रकबा 3.74 है0 मे से 0.75 है0, ख0न0 2088 रकबा 1.22 है0 मे से 0.50 है0, ख0न0 2091 रकबा 1.86 है0 मे से 0.25 है0 किस्म चरागाह पर अतिचारी मानते हुए धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलार्थी को 60 दिन का सिविल कारावास व 150/– रूपये पेलेन्टी लगाने का आदेश दिनांक 13.7.2021 को पारित किया , जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई।

2. यह अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर दूदू से नवसृजित जिला दूदू के क्षेत्राधिकार की होने से इस न्यायालय में स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की की गई। तहत रिकार्ड पूर्व से ही संलग्न पत्रावली है। अपीलार्थी की और से विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश चौधरी उपस्थित है। रेस्पोडेन्ट की तरफ से पैरोकार सरकार तहसीलदार दूदू उपस्थित है।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश चौधरी ने अपनी बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश न्यायालय तहसीलदार दूदू दिनांक 13.7.2021 प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त व तथ्यों व कानून के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को बिना समझे एवं तथ्यों की जाँच किये बिना कतई परवर्स निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी को बिना सुने एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी की खातेदारी भूमि के लगवा चरागाह भूमि स्थित है। चरागाह भूमि का विधिवत सही तरीके से सीमाज्ञान किया जाकर डोल लगान चाहिए था लेकिन आनन फानन में बिना नाप चौक किये ही अपीलार्थी की खातेदारी भूमि के कुछ हिस्से को दबाते हुए डोल लगाकर अपीलार्थी की भूमि को चरागाह में मिला दिया गया। दिनांक 30.6.2021 को ज्वार की फसल चरागाह में अपीलार्थी की काश्त बताकर बिना नाप चौक किये ही अतिक्रमण मानकर कार्यवाही की गई है। दिनांक 30.6.2021 को मानसून ही नही आया था तो फिर ज्वार की फसल काश्त करना असंभव है। इसलिए तहसीलदार दूदू का निर्णय वास्तविक तथ्यों से विपरीत है। पटवारी ने गलत रिपोर्ट बिना मौका जॉच किये एवं बिना चरागाह की नाप चोक किये ही पेश की है। अपीलार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलार्थी ने चरागाह भूमि पर न तो पूर्व मे अतिक्रण किया था, व न ही वर्तमान मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का कब्जा काश्त या अतिक्रमण है। तहसीलदार दूदू ने न्यायिक प्रकिया में विवेक का प्रयोग किये बिना ही गलत तरीके से अपीलार्थी को सिविल करावास का आदेश भी पारित किया है जो न्यायोचित नही है। इसलिए अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.7.2021 अपास्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

5. रेस्पोडेन्ट की और से पैरोकार सरकार तहसीलदार दूदू ने अपीलार्थी के तर्कों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चरागाह भूमि ख0न0 2087, 2088, 2091 पर अनाधिकृत रूप से काश्त करने एवं इससे पूर्व भी अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2020 में अतिक्रमण कर चना की फसल काश्त की गई थी जिस पर नायब तहसीलदार दूदू ने प्रकरण संख्या 121/20 दर्ज कर दिनांक 11.1.21 को बेदखल करने के आदेश दिये गये थे। इसके पश्चात अपीलार्थी ने पुनः ज्वार की फसल काश्त कर दुबारा अतिक्रमण किया है। इसलिए अपीलार्थी के विरूद्व धारा 91(3) के तहत कार्यवाही की जाकर राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश जारी किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनाक 13.7.2021 उचित है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6 उभयपक्ष की बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया । पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन तथा बहस पर मनन करने पर पाया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम हरसोली तहसील दूदू के ख0न0 2087,2088, 2091 किस्म चरागाह भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण/ अनाधिकृत काश्त करने पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज. भू. राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किये, अपीलार्थी नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को चरागाह भूमि से बेदखल कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण धारा 91(3) के तहत 60 दिवस की सिविल कारावास एवं 150/– रूपये पेनल्टी के आदेश दिनांक 13.7.2021 को पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा चरागाह भूमि पर अनाधिकृत रूप से फसल काश्त करने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार राज. भू राजस्व अधि. की धारा 91 के तहत अपीलार्थी के विरूद्व कार्यवाही की है जो उचित है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.1.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार दूदू से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, जिसके अनुसार पूर्व अतिक्रमित भूमि पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। लेकिन अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.7.2021 के समय अपीलार्थी का चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नही हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को राज. भू. राजस्व अधि. की धारा 91(3) के तहत 60 दिवस की सिविल कारावास एवं 150/– रूपये पेनल्टी से दण्डित किया गया है। वर्तमान में अपीलार्थी का कोई अतिक्रमण नही है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन प्रकरण में प्राकृतिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दूदू द्वारा अपीलार्थी को दी गई 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा निरस्त किया जाना उचित समझते है।

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

8. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 13/2021 बउनवानी सरकार बनाम श्योकरण में पारित निर्णय दिनांक 13.7.2021 में 60 दिवस सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त किया जाता है, शेष आदेश यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत तहसीलदार दूदू को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 02.4.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर

02/04/2024

(हनुमान मल ढाका)
IAS
जिला कलेक्टर
दूदू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner